वार्षिक लेखा
रिपोर्ट 2021–22

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक लेखा रिपोर्ट 2021-22

एपीडा
APEDA

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

विषय सूची

1	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	2–5
2	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	6
3	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा	7
4	31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (1 और 2)	8
5	31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (3)	9
6	31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (4 और 6)	10
7	31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (5)	11
8	31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (7)	12
9	31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (8, 9 और 10)	13
10	31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (11 और 12)	14
11	31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (13 और 14)	15
12	31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (15 और 16)	16
13	31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण (1, 2 और 3)	17
14	31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण (4, 5 और 6)	18
15	31 मार्च 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण (7, 8, 9, 10 और 11)	19
16	31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में परिवर्धित समूह (1, 2 और 3)	20
17	31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में परिवर्धित समूह (4)	21
18	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	22
19	विगत वित्तीय वर्ष (2020–21) की तुलना में वर्ष 2021–22 के लिए गैर नियोजित व्यय का विवरण	23
20	वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए लाभ समाधान विवरण	24
21	अनुसूची 17–महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	25
22	अनुसूची 18 आकस्मिक देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणिया	27
23	एपीडा द्वारा अपनाए लेखांकन मापदंडों की सूची	29

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के खातों के संबंध् में
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम , 1971 की धारा 19(2) और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 18(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की संलग्न तुलन-पत्र की और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण एपीडा के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

2. पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण और सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानदंडों और प्रकटन मानकों आदि के अनुपालन के लिए अपनाई गई लेखांकन कार्य विधि के संबंध् में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ दी गई हैं। कानूनों, नियमों तथा विनियमों (मालिकाना तथा नियमितता) और दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के लिए वित्तीय लेन-देन के संबंध् में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है।

3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि हम इस संबंध् में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण में कोई उल्लेखनीय गलत विवरण तो नहीं दिया गया है। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण में राशि तथा प्रकटन के समर्थन में साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। एक लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना और वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार होती है ।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i.) हमने वह सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से अनिवार्य थे ।

ii.) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा / प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिए गए हैं ।

iii.) हमारी राय में एपीडा ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 18(1) के अंतर्गत लेखों की उचित बही और अन्य संगत रिकॉर्ड रखें हैं जैसा कि हमारे द्वारा ऐसी खाता बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

iv.) आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. अनुदान सहायता

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-2022 के दौरान एपीडा को 85,00,00,000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। एपीडा को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान नियोजित योजना 'निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता' के अंतर्गत 79,60,00,000/- रुपये और नियोजित योजना 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना' के अंतर्गत 5,40,00,000/- रुपये की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई। ये सहायता तीन वस्तु शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त हुई:

(राशि रूपये में)

वस्तु शीर्ष	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना	निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता
01.31- अनुदान सहायता-सामान्य	2,00,00,000	7,00,00,000
01.33 सब्सिडी	2,00,00,000	48,00,00,000
01.35 पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	1,40,00,000	24,60,00,000
कुल	**5,40,00,000**	**79,60,00,000**

एपीडा द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए किए गए अनुदानों का आवंटन और इन योजनाओं के अन्तर्गत बुक किया गया वास्तविक व्यय निम्नानुसार था:

वस्तु शीर्ष	प्राप्त सहायता	एपीडा के संबंधित योजना घटक	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किया गया व्यय (रूपये में)	अधिक/कम उपयोग
अनुदान सहायता सामान्य	7,00,00,000	बाजार विकास	48,10,79,228	(41,10,79,228)
सब्सिडी	48,00,00,000	गुणवत्ता विकास	7,01,16,565	40,98,83,435
पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	24,60,00,000	अवसंरचना विकास	24,75,69,833	(15,69,833)
पूर्वोत्तर विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त सहायता	5,40,00,000	पूर्वोत्तर विकास निधि	5,46,89,881	(6,89,881)
कुल	**85,00,00,000**		85,34,55,507	**(34,55,507)**

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि एपीडा ने वर्ष 2021-2022 के दौरान मंत्रालय से प्राप्त अनुदान का पूरा उपयोग किया है। हालांकि वैयक्तिगत योजनाओं/शीर्षों के संदर्भ में, सामान्य अनुदान सहायता, एनईआर विकास के लिए अनुदान और सब्सिडी के रूप में प्राप्त अनुदानों का कम उपयोग किया गया है, जबकि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान, जो अवसरंचना विकास के लिए आवंटित किए गए थे, रसीद से अधिक व्यय किए गए। अवसरंचना विकास के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय अन्य शीर्षों से कम उपयोग किए गए अनुदानों को हटाकर अनुदान के अंतर शीर्षों के पुनर्आवंटन के माध्यम से किया गया है ।

ख) जिन कमियों को इस अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है ।

v. पिछले पैरों में हमारी टिप्पणियों के शर्ताधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा / प्राप्ति एवं भुगतान लेखा , लेखा बहियों के अनुरूप हैं ।

vi. हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युत्त वित्तीय विवरण और लेखांकन नीतियाँ और लेखों के संबंध् में टिप्पणियाँ, उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के शर्ताधीन रहते हुए, भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुसार एक सही तथा उचित ब्यौरा देते हैं।

क जहां तक यह 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की तुलन–पत्र और वित्तीय स्थिति से सम्बंधित है और

ख जहां तक यह 31 मार्च, 2022को समाप्त वर्ष के लिए अधिक राशि के आय एवं व्यय लेखा से सम्बंधित है ।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 अक्टूबर 2022

S. Panda

(एस. अहल्लादिनी पांडा)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अलग करने के लिए अनुबंध
(31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के लेखों पर)

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता।

एपीडा का कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विंग नही है और वाणिज्य विभाग आंतरिक लेखा परीक्षा करता है। वर्ष 2021-2022 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नही की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता।

एपीडा की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां देखी गई हैं।

i. एपीडा के पास लेखा मैनुअल नही है।

ii. एपीडा द्वारा एमआईएस का उपयोग नही किया जाता है।

iii. सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए एपीडा द्वारा उपलब्धि सह निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत न करना।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली।

अचल संपत्तियों और उपभोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन मुख्यालय, नई दिल्ली में किया गया। हालांकि, वर्ष 2021-22 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों में संपत्तियों का को भौतिक सत्यापन नही किया गया।

4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली।

एपीडा के लेखों में 31 मार्च 2022 तक कोई इनवेंटरी नही है।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता।

एपीडा ने नियमित रूप से सांविधिक देयताओं का भुगतान किया है।

हस्ताक्षर
उप निदेशक (एएमजी-1)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (रू.)	विगत वर्ष (रू.)
देयताएं			
मूल / पूंजीगत निधि	1	1,650,405,456	1,616,133,701
आरक्षित और अधिशेष	2	9,565,660	10,959,983
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	4	391,348,205	312,074,683
कुल		**2,051,319,321**	**1,939,168,367**
सम्पत्तियां			
स्थायी संपत्तियाँ	5	110,699,703	99,738,806
निर्धारित / बंदोबस्त निधि में से निवेष	6	-	-
चालू संपत्ति, ऋण अग्रिम आदि	7	1,940,619,618	1,839,429,561
कुल		**2,051,319,321**	**1,939,168,367**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
आकस्मिक देनदारियां और लेखों पर टिप्पणियां	18		

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (रू.)	विगत वर्ष (रू.)
आय			
अनुदान/सब्सिडी	8	850,000,000	836,000,000
शुल्क / अंशदान	9	132,273,257	132,420,754
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	10	-	-
प्राप्त ब्याज	11	82,554,026	66,243,682
अन्य आय	12	54,271,418	50,085,383
विगत वर्ष की आय		631,305	2,072,847
कुल (क)		**1,119,730,006**	**1,086,822,666**
व्यय			
स्थापना व्यय	13	150,730,152	142,534,327
अन्य प्रशासनिक व्यय	14	53,899,273	35,137,426
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	15	853,455,507	836,448,490
वित्तीय शुल्क	16	72,988	25,782
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	5	12,140,315	10,928,138
विगत वर्ष का व्यय		676,478	8,945,228
कुल (ख)		**1,070,974,713**	**1,034,019,392**
मूल / पूंजी निधि में अंतरण व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय (क–ख)		**4,87,55,293**	**5,28,03,274**

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 1 – मूल /पूंजी निधि	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
वर्ष की शुरु में शेष	1,616,133,701		1,608,705,427	
जमा : शुद्ध आय का शेष	48,755,293		52,803,274	
(आय और व्यय खाते से अंतरण)				
जमा पूंजीगत व्यय, जो अब अपलिखित पूंजीकृत है।			-	
जमा/घटा: विगत वर्षों में समायोजन/प्रतिदाय प्रतिष्ठि	14,483,538	1,650,405,456	45,375,000	1,616,133,701
(*लेखों पर टिप्पणियां अनुसूची 18, क्रम संख्या 7 देखें)				
सामान्य आरक्षित निधि से अंतरण				
वर्ष के अंत में शेष		**1,650,405,456**		**1,616,133,701**

(राशि रूपये में)

अनुसूची 2 – आरक्षित निधि एवं अधिशेष :	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
1. आरक्षित पूंजी:				
विगत खाते के अनुसार	10,959,983		12,567,726	
घटा/जमा: समायोजन			-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	1,394,323		1,607,743	
(अनुसूची 5 में विवरण) में आरक्षित पूंजी में से	9,565,660	9,565,660	10,959,983	10,959,983
आईसीपी–एमएस की कटौती आरक्षित से कम करना	-		-	
2. विशेष आरक्षित निधि:				
विगत लेखे के अनुसार				
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
3. सामान्य आरक्षित निधि:	-		-	
विगत लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
पूंजी निधि में अंतरण	-		-	
कुल		**9,565,660**		**10,959,983**

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 3 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	निधिवार – विवरण				
	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय निधि	गैर बासमती विकास निधि	गेहूं विकास निधि	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क. निधियों का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-
ख. निधियों के परिवर्धन					
i. अनुदान/दान		-	-	-	-
ii. निधि से किए गए निवेश से आय					
iii. अन्य परिवर्धन		-	-	-	-
कुल (क + ख)	-	-	-	-	-
ग. लक्ष्य हेतु निधियों का उपयोग/व्यय					
i. पूंजीगत व्यय :					
– स्थायी सम्पत्ति	-	-	-	-	-
– परियोजनाओं के लिए दिए गए अनुदान	-	-	-	-	-
– वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रतिदाय					
कुल	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय :					
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि।	-	-	-	-	-
– किराया	-	-	-	-	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-				-
कुल	-	-	-	-	-
कुल (ग)	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)	-	-	-	-	-

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 4 – चालू देनदारियों और प्रावधान	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
क. चालू देनदारियां				
1. स्वीकृति	-	-	-	
2. देय दावे	-	-	-	
3. सांविधिक देनदारियां:				
क. अतिदेय	-		-	
ख. अन्य	5,345,875		3,917,314	
4. अन्य चालू देयताएं	255,289,978	260,635,853	185,991,807	**189,909,121**
कुल (क)		**260,635,853**		**189,909,121**
ख. प्रावधान				
1. उपदान		66,979,388		64,068,938
2. पट्टा किराया के लिए अन्य प्रावधान		181		181
3. संग्रहित अवकाश नकदीकरण		50,993,608		45,657,268
4. बिजली		-		-
5. लेखा परीक्षा शुल्क		1,514,240		1,214,240
6. महंगा भत्ता		269,865		269,865
6. वेतन		-		-
7. स्रोत पर कर कटौती		10,929,121		10,929,121
8. एफबीटी		25,949		25,949
कुल (ख)		**130,712,352**		**122,165,562**
कुल (क + ख)		**391,348,205**		**312,074,683**

(राशि रूपये में)

अनुसूची 6 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
पूर्वोत्तर क्षेत्र		-		
गैर बासमती चावल		-		
गेहूं विकास निधि		-		
कुल		-		-

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची 5 – स्थायी सम्पत्तियां

(राशि रूपये में)

विवरण	दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		01.04.2021 को लागत	30.09.2021 से पहले संपति के लिए परिवर्धन	30.09.2021 के बाद संपति के लिए परिवर्धन	2021-22 के दौरान कटौती	31.03.2022 को लागत	01.04.2021 तक मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के अंत तक कुल	31.03.2022 को चालू वर्ष	31.03.2021 को विगत वर्ष
भूमि और भवनः	10%											
क मुफ्त कब्जा प्राप्त भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख पट्टे पर भवन, दिल्ली		228,040,676	-	-	-	228,040,676	197,245,182	3,079,549	-	200,324,731	27,715,944	30,795,493
ग दिल्ली गेस्ट हाउस फ्लैट्स/परिसर		9,308,962	-	-	-	9,308,962	5,343,608	396,535	-	5,740,144	3,568,818	3,965,353
घ गुवाहाटी कार्यालय भवन		35,910,511	4,432,790	-	-	40,343,301	16,248,139	2,409,516	-	18,657,655	21,685,646	19,662,372
ङ मुंबई कार्यालय भवन		9,071,000	-	-	-	9,071,000	7,968,179	110,282	-	8,078,461	992,539	1,102,821
च बैंगलुरु कार्यालय भवन		44,555,480	-	-	-	44,555,480	17,334,676	2,722,080	-	20,056,757	24,498,724	27,220,804
छ पट्टे भूमि, मोदीपुरम		1	-		-	1	-	-	-	-	1	1
ज हैदराबाद कार्यालय भवन		-	-	3,856,300	-	3,856,300	-	192,815	-	192,815	3,663,485	-
झ कोलकाता कार्यालय भवन		-	-	3,639,531	-	3,639,531	-	181,977	-	181,977	3,457,554	-
ञ वाराणसी कार्यालय भवन		-	-	2,308,450	-	2,308,450	-	115,423	-	115,423	2,193,027	-
प्लांट मशीनरी और उपकरण	**15%**	17,702,511	-	-	-	17,702,511	11,701,869	900,096	-	12,601,965	5,100,546	6,000,642
								-		-	-	
वाहन	**15%**	3,223,253	732,051	-	-	3,955,304	2,793,552	174,263	-	2,967,814	987,489	429,701
								-		-	-	
फर्नीचर और फिक्सचर्स	**10%**	5,785,042	292,994	2,403,346	-	8,481,382	3,176,241	410,347	-	3,586,588	4,894,794	2,608,801
								-		-	-	
कार्यालय उपकरण	**15%**	20,768,574	1,266,221	1,197,878	-	23,232,673	14,436,410	1,229,599	-	15,666,009	7,566,666	6,332,166
								-		-	-	
कंम्यूटर का सहायक उपकरण	**40%**	21,795,127	453,505	3,912,468	-	26,161,100	20,234,946	1,587,968	-	21,822,914	4,338,187	1,560,181
								-		-	-	
सॉफ्टवेयर	**40%**	1,235,418	-	-	-	1,235,418	1,174,947	24,188	-	1,199,135	36,282	60,470
चालू वर्ष का कुल योग (क)		**397,396,555**	**7,177,561**	**17,317,973**	-	**421,892,089**	**297,657,748**	**13,534,638**	-	**311,192,387**	**110,699,703**	**99,738,806**
घटा : आरक्षित पूंजी से ह्रास (ख) (10%/15%)*								**1,394,323**				
चालू वर्ष का कुल योग एपीडा (क–ख)		**397,396,555**	**7,177,561**	**17,317,973**	-	**421,892,089**	**297,657,748**	**12,140,315**	-	**311,192,387**	**110,699,703**	**99,738,806**
विगत वर्ष का कुल योग (ग)		**387,550,661**	**8,109,934**	**1,735,960**	-	**397,396,555**	**285,121,870**	**12,535,881**	-	**297,657,748**	**99,738,806**	**102,428,792**
घटाः आरक्षित पूंजी से ह्रास (घ)								**1,607,743**				
विगत वर्ष का कुल योग (ग–घ)		**387,550,661**	**8,109,934**	**1,735,960**	-	**397,396,555**	**285,121,870**	**10,928,138**	-	**297,657,748**	**99,738,806**	**102,428,792**

* 4.41 करोड़ रूपये का अनुदान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से वर्ष 2001–02 में भवन की खरीद के लिए पूंजी व्यय के रूप में प्राप्त हुए और उसे पहले ही पट्टे पर भवन में शामिल किया जा चुका है। इस प्रकार की अनुदान राशि को तब से आरक्षित पूंजी और 10 प्रतिशत मूल्य ह्रास के रूप में आरक्षित पूंजी में प्रतिवर्ष समायोजित किया जात है।

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 7 – वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
क. वर्तमान संपत्ति				
1. विविध देनदार (विवरण समूह 5 में हैं)			-	-
2. रोकड़ शेष (चेक/ड्राफ्ट आदि सहित)		10,830		14,640
(विवरण समूह 1 में हैं)				
3. बैंक शेष				
क. अनुसूचित बैंकों में				
(विवरण समूह 6 में हैं)				
– चालू खातों पर	306,834,208		72,199,392	
– जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)	1,567,916,014		1,694,216,705	
– बचत खातों पर	-	1,874,750,222		1,766,416,097
		1,874,761,051		**1,766,430,737**
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण:				
क. कर्मचारी (विवरण समूह 2 में हैं)	3,029,256		3,713,164	
ख. इकाई के समान क्रियाकलापों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं	-			
ग. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-			
2. नकद में अथवा समान राशि में अथवा मूल्य में प्राप्त किए जाने वाली वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य राशि		3,029,256		3,713,164
क. पूंजी खाते	-		-	
ख. प्राप्तियां (विवरण समूह 3 में हैं)	43,920,613		45,341,224	
ग. सुरक्षा जमा (विवरण समूह 4 में हैं)	1,899,460		2,746,693	
3. अर्जित आय:		45,820,073		48,087,917
(क) (i) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश				
(ii) अन्य निवेशों पर	17,009,237		21,197,742	
(iii) बीडीएफ और डब्ल्यूडीएफ की एफडी में निवेश		17,009,237	-	21,197,742
4. निधियों के लिए प्राप्य दावे		-		-
कुल (ख)		**65,858,566**		**72,998,824**
कुल (क + ख)		**1,940,619,618**		**1,839,429,561**

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे की अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 8 – अनुदान / सब्सिडी (स्थायी अनुदान और प्राप्त सब्सिडी)	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
1. केंद्र सरकार				
नियोजित व्यय (नीचे नोट–1 देखें)	850,000,000		836,000,000	
अनियोजित व्यय	-		-	
2. राज्य सरकार (सरकारें)	-	850,000,000		836,000,000
3. सरकारी एजेंसियां	-	-		-
4. संस्थान/कल्याण निकाय	-	-		-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-		-
6. अन्य	-	-		-
कुल		**850,000,000**		**836,000,000**

(राशि रूपये में)

अनुसूची 9 – शुल्क / अंशदान	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
1. पंजीकरण शुल्क		57,906,977		52,164,938
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान		-		-
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क		-		-
4. परामर्श शुल्क		-		-
5. बासमती चावल के लिए अनुबंधों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क (आरसीएमसी)		74,366,280		80,255,816
कुल		**132,273,257**		**132,420,754**

(राशि रूपये में)

अनुसूची 10 – रॉयल्टी प्रकाशन, आदि से आय	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
प्रकाशनों से आय			-	-
कुल		-		-

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

(राशि रूपये में)

अनुसूची 11 – प्राप्त ब्याज	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
1. सावधि जमा पर:				
क. अनुसूचित बैंकों में		82,551,999		66,243,682
ख. गैर अनुसूचित बैंकों में				
ग. संस्थानों में				
घ. अन्य				
2. बचत खातों पर:				
क. अनुसूचित बैंकों में		2,027		
ख. गैर अनुसूचित बैंकों में				
ग. डाकघर बचत खातों में				
घ. अन्य		-		-
3. ऋण पर:				
क. कर्मचारी / स्टाफ				
ख. अन्य				
4. कर्जदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज				
कुल		**82,554,026**		**66,243,682**

नोट :– वित्त वर्ष 2021–2022 के लिए 26 एएस के अनुसार स्रोत पर कर कटौती 5,02,213,00 रुपये हैं।

(राशि रूपये में)

अनुसूची 12 – अन्य आय	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
1. बिक्री/संपत्तियों के निपटान पर लाभ		-		-
क. स्वामित्व वाली संपत्ति				
ख. अनुदान से प्राप्त अथवा निशुल्क प्राप्त संपत्तियां				
2. निर्यात प्रोत्साहन से प्राप्त राशि		54,271,418		50,085,383
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क				-
4. विविध आय–		-		-
क. बट्ट खाते में डाला गया व्यय				
कुल		**54,271,418**		**50,085,383**

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

(राशि रुपये में)

अनुसूची 13 – स्थापना व्यय	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
क. वेतन और परिश्रम		64,434,362		61,306,350
ख. भत्ते और बोनस (विवरण समूह 7 में हैं)		45,474,249		36,738,418
ग. भविष्य निधि में योगदान		9,294,329		9,360,359
घ. अन्य निधियों में योगदान (निर्दिष्ट करें)				
ड़. कर्मचारी कल्याण व्यय		745,241		634,060
च. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व्यय और सेवानिवृति लाभ (विवरण समूह 8 में है।)		14,299,619		20,696,097
छ. प्रशासनिक शुल्क		16,284,618		13,791,043
ज. मानदेय		197,734		8,000
कुल		**150,730,152**		**142,534,327**

(राशि रुपये में)

अनुसूची 14 – अन्य प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
क. विद्युत और शक्ति		4,796,063		2,801,577
ख. बीमा		40,954		42,147
ग. मरम्मत और रखरखाव (विवरण समूह 9 में हैं)		13,181,198		4,903,927
घ. किराया, दरें और कर		4,172,302		1,076,354
ड़. डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क (विवरण 10 समूह में हैं)		1,917,043		1,212,520
च. प्रिंटिग और स्टेशनरी		1,717,037		1,530,237
छ. यात्रा और परिवहन व्यय (विवरण समूह 11 में हैं)		12,860,058		10,383,001
ज. समाचार पत्र व्यय		493,411		218,785
झ. बैठक और शुल्क पर व्यय		1,963,007		1,135,936
ञ. लेखा परीक्षकों के मानदेय		300,000		300,000
ट. कंप्यूटर का सामान		363,379		259,304
ठ. कानूनी और व्यावसायिक शुल्क		2,505,033		565,857
ङ. फोटोकापी शुल्क		55,940		30,215
ढ़. प्रचार खर्च		77,366		-
ण. विविध व्यय		1,663,772		5,026,982
त. कार्यालय व्यय		2,639,887		2,835,155
थ. सुरक्षा शुल्क		5,152,822		2,815,430
द. स्वच्छ भारत अभियान पर व्ययकुल		-		-
कुल		**53,899,273**		**35,137,426**

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

(राशि रूपये में)

अनुसूची 15 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी				
परिवहन सहायता	-		244,101,547	
अवसंरचना विकास	247,569,833		374,610,202	
बाजार विकास	481,079,228		108,574,415	
गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली	70,116,565		69,900,041	
पूर्वोत्तर विकास निधि (एनईआर)	54,689,881		29,262,285	
कृषि निर्यात नीति (एईपी)	-		10,000,000	**836,448,490**
कुल		**853,455,507**		**836,448,490**

(राशि रूपये में)

अनुसूची 16 – वित्तीय शुल्क	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
बैंक शुल्क		**72,988**		**25,782**
कुल		**72,988**		**25,782**

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रूपये में)

समूह 1 – नकद शेष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
गुवाहाटी कार्यालय	521	521
दिल्ली	696	3,186
मुंबई	228	228
बैंगलोर	4,167	10,006
हैदराबाद	2,985	248
चेन्नई	1,782	-
वाराणसी	451	451
कुल	**10,830**	**14,640**

(राशि रूपये में)

समूह 2 – कर्मचारियों को अग्रिम	चालू वर्ष	विगत वर्ष
यात्रा का	41,699	41,499
हाउस बिल्डिंग	563,651	627,897
मोटर वाहन	3,783	21,195
कंप्यूटर	9,313	167,023
विविध	1,235,856	621,290
एलटीसी	132,054	428,977
चिकित्सा	82,844	624,245
विदेशी विनियम	960,056	1,181,038
कुल	**3,029,256**	**3,713,164**

(राशि रूपये में)

समूह 3 – प्राप्य राशियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष
टीडीएस–डब्ल्यूडीएफ से घटाया गया	244,233	244,233
टीडीएस–एसटीडी से कटौती	12,610,384	12,610,384
टीडीएस प्राप्य (2017–18)	55,974	55,974
टीडीएस प्राप्यं (2018–19)	6,558,756	6,558,756
टीडीएस प्राप्य (2019–20)	3,138,792	3,138,792
टीडीएस प्राप्य (2020–21)	459,075	459,075
टीडीएस प्राप्य (2021–22)	424,051	-
एफबीटी प्रतिदेय	25,949	25,949
एयर इंडिया से वसूली योग्य	17,786	17,786
प्रतिनिधि मंडलों से वसूली योग्य	1,147,572	1,147,572
प्राप्य सेवा कर (2016–17)	7,914,350	7,914,350
फैलेक्स फूड्स लिमिटेड	90,457	90,457
भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)	62,389	62,389
देय वेतन अनुबंध	-	38,579
देय वेतन	-	54,258
आवासीय किराया	23,231	-
रिलायबल फ्रेश	148,445	148,445
आईटीपीओ से प्राप्य	158,110	1,027,661
ऐरिया से प्राप्य	25,000	25,000
ईपीएफओ से प्राप्य	3,893,426	3,893,426
जीएसटी प्राप्य	5,832,883	7,652,305
प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटे	31,857	31,857
डॉ बीर सिंह नेगी	-	17,820
हल्दी राम स्नैक्स प्रा. लिमिटेड,	69,405	69,405
बीकानेरवाला फूड्स प्रा. लिमिटेड	35,389	35,389
वीआई एक्सपोर्ट्स आईएनसी	938,100	-
उप आयुक्त एच.आई.डी	-	600
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)	15,000	15,000
पुनीत कुमार	-	3,333
राजीव संतोकी	-	763
शुभम राय	-	1,667
कुल	**43,920,613**	**45,341,224**

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

(राशि रूपये में)

समूह 4 – सुरक्षा जमा	चालू वर्ष	विगत वर्ष
टेलीफ़ोन	367,554	367,554
टेलेक्स	55,900	55,900
डीएवीपी	210,000	210,000
अन्य–इस्टेट का एडी/बीएमएस डिविजन	32,505	32,505
एडीपेट्रोल	51,881	51,881
सुरक्षा जमा प्राप्त	1,081,620	1,928,853
बीपीसीएल	100,000	100,000
कुल	**1,899,460**	**2,746,693**

(राशि रूपये में)

समूह 5 – विविध कर्जदार	चालू वर्ष	विगत वर्ष
कुल	-	-

(राशि रूपये में)

बैंक का नाम और स्थान	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
	चालू/बचत बैंक खाता शेष	सावधि जमा	कुल राशि	चालू/बचत बैंक खाता शेष	सावधि जमा	कुल राशि
केनरा बैंक, बेंगलुरु	355,302	-	355,302	920,435	-	920,435
केनरा बैंक, दिल्ली	93,253,460	974,376,489	1,067,629,949	1,869,101	931,266,937	933,136,038
केनरा बैंक, गुवाहाटी	64,861	-	64,861	239,000	-	239,000
केनरा बैंक, हैदराबाद	1,408,786	-	1,408,786	341,323	-	341,323
केनरा बैंक, मुंबई	763,965	-	763,965	822,055	-	822,055
इंडियन बैंक, दिल्ली	1,040,259	-	1,040,259	2,326,737	-	2,326,737
एचडीएफसी बैंक, दिल्ली	27,905,090	95,500,000	123,405,090	14,786,666	70,320,760	85,107,426
एचडीएफसी बैंक, हौज खास, दिल्ली	19,183,671	287,000,000	306,183,671	31,823,829	215,851,920	247,675,749
भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली	214,340,326	74,519,226	288,859,552	2,919,173	476,777,088	479,696,261
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता	244,738	-	244,738	166,611	-	166,611
एचडीएफसी बैंक, वाराणसी	164,579	-	164,579	231,399	-	231,399
आईसीआईसीआई बैंक, दिल्ली	(53,018,337)	136,520,299	83,501,962	15,358,855	-	-
भारतीय स्टेट बैंक, चेन्नई	389,930	-	389,930	394,209	-	-
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोच्चि	55,646	-	55,646	-	--	-
जम्मू और कश्मीर बैंक	65,360	-	65,360	-	-	-
एचडीएफसी बैंक, अहमदाबाद	102,009	-	102,009	-	-	-
एचडीएफसी बैंक, भोपाल	339,355	-	339,355	-	-	-
एचडीएफसी बैंक, चंडीगढ़	175,207	-	175,207	-	-	-
कुल	**306,834,208**	**1,567,916,014**	**1,874,750,222**	**72,199,392**	**1,694,216,705**	**1,750,663,034**

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2022 को आय और व्यय खाते के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रूपये में)

समूह 7 – भत्ते और बोनस	चालू वर्ष	विगत वर्ष
महंगाई भत्ता	16,110,166	9,536,801
अतिरिक्त समय भत्ता	11,503	16,764
अन्य भत्ता	15,112,339	13,498,883
अवकाश यात्रा भत्ता	992,285	659,047
परिवहन भत्ता	5,009,007	4,671,090
चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	6,693,497	6,805,469
बोनस (तदर्थ)	707,572	687,572
ट्यूशन फीस भत्ता	837,880	862,792
कुल	**45,474,249**	**36,738,418**

(राशि रूपये में)

समूह 8 – कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवा समाप्ति पर व्यय	चालू वर्ष	विगत वर्ष
उपहार	7,097,194	11,377,955
अवकाश नकदीकरण	7,202,425	9,318,142
कुल	**14,299,619**	**20,696,097**

(राशि रूपये में)

समूह 9 – मरम्मत और रखरखाव	चालू वर्ष	विगत वर्ष
कार्यालय परिसर	10,868,922	3,081,650
कार्यालय के उपकरण	909,015	472,006
कंम्युटर और कंम्युटर सहायक उपकरण	679,916	1,066,261
एपीडा गेस्ट हाउस, दिल्ली	407,719	164,181
स्टाफ कार	315,626	119,829
कुल	**13,181,198**	**4,903,927**

(राशि रूपये में)

समूह 10 – डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	चालू वर्ष	विगत वर्ष
कार्यालय टेलीफोन शुल्क	1,272,706	795,401
आवासीय टेलीफोन शुल्क	380,093	277,128
डाक और कूरियर	264,244	139,991
कुल	**1,917,043**	**1,212,520**

(राशि रूपये में)

समूह 11 – यात्रा और वाहन	चालू वर्ष	विगत वर्ष
यात्रा किराया (घरेलू)	3,772,432	2,094,575
वाहन	1,996,234	2,366,426
दौरा और यात्रा व्यय	7,091,392	5,922,000
कुल	**12,860,058**	**10,383,001**

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में परिवर्धित समूह

(राशि रूपये में)

1. वेतन और पारिश्रमिक	चालू वर्ष	विगत वर्ष
मूल वेतन वेतन	58,882,462	56,104,548
अनुबंध	5,551,900	5,201,802
कुल	**64,434,362**	**61,306,350**

(राशि रूपये में)

2. सांविधिक देनदारियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष
ईपीएफ में कर्मचारियों का योगदान	1,246,757	808,732
कर्मचारी टीडीएस	912,098	1,060,179
अनुबंध टीडीएस	80,886	76,008
किराया टीडीएस	1,839,390	476,806
व्यवसायी टीडीएस	1,102,535	1,495,590
टीडीएस–जीएसटी	164,209	-
कुल	**5,345,875**	**3,917,314**

(राशि रूपये में)

3. अन्य चालू देनदारियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अन्य विविध देनदार		
ईएमडी (जमा)	1,250,000	1,100,000
बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन (बीईडीएफ)	17,274,329	8,223,626
कैटलिस्ट सोल्यूशन	421,974	421,974
जीआईएस	37,330	36,977
राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र	255,095	255,095
मैसर्स बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड	427,282	427,282
अथर्व इंटरनेशनल	748,719	748,719
वाची इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड,	441,576	441,576
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय लेजर	158	158
लाइसेंस शुल्क	19,110	19,110
एलआईसी–एसएसएस	10,800	10,138
सिक्सथ पी. मार्केटिंग	176,070	176,070
ईएमडी–(एफएएसएआर)–येस बैंक	-	100,000
ईएमडी–फाल्कन प्रदर्शन	100,000	100,000
ईएमडी सेवंटीसेवन	36,000	36,000
सिटी ट्रेवल्स	34,978	-
भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)	54,000	54,000
आवासीय किराया	-	2,769
देय वेतन	112,927	-
कमला अनुवाद एजेंसी	-	600
कूल प्लैनेट एंटरप्राइजेज	-	128,999
मनीष ट्रेडर	-	265,923
प्रेम इन्फोटेक	-	30,000
सत्य साईं एजेंसियां	-	36,000
महालक्ष्मी स्टेशनरी मार्ट	-	17,250
थंगम रामचंद्रम	-	12,883
उत्तम सेल्स	-	79,552
भविष्य प्रिंटर	-	22,990
कल्पना ग्राफिक्स	-	28,100

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

बीईडीएफ को देय एफडी पर टीडीएस	1,900,158	1,900,158
अन्य देनदारियां:		
एपीडा कर्मचारी क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी	486,915	533,927
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रतिदेय	231,014,071	169,835,899
सुरक्षा जमा देय	488,486	946,032
कुल	**255,289,978**	**185,991,807**

(राशि रूपये में)

4. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	चालू वर्ष	विगत वर्ष
विविध प्राप्तियां	42,515	370,272
प्रत्यायन शुल्क	5,867,797	2,032,203
सामान्य प्राप्तियां	4,630,565	120,462
मीट प्लांट	80,000	43,000
सूचना का अधिकार	1,200	600
चीनी (आयात)	7,886,309	5,993,764
निगरानी शुल्क	150,000	2,303,390
प्रक्रिया शुल्क (50%)	33,638,029	35,333,294
विविध रसीद–आर्गेनिक	-	2,542,635
पंजीकरण शुल्क–पोर्क	-	50,000
एनपीओपी शुल्क	1,950,003	1,295,763
एचएसीसीपी पंजीकरण शुल्क	25,000	-
कुल	**54,271,418**	**50,085,383**

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि रूपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	विगत वर्ष
प्रारंभिक शेष			**खर्च :**		
रोकड़ शेष	14,640	12,381	स्थापना और प्रशासनिक व्यय	14,110,736	12,466,381
बैंक में शेष			बैंक प्रभार	72,988	25,782
चालू खातों में	72,199,392	449,382,290			
जमा खातों में	-	-	**विभिन्न परियोजनाओं के लिए भुगतानः**		
बचत बैंक खातों में	-	-	परिवहन सहायता	-	244,101,547
			अवसंरचना विकास	247,569,833	374,610,202
प्राप्त अनुदानः			बाजार विकास	481,079,228	108,574,415
भारत सरकार से			गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली	70,116,565	69,900,041
नियोजित योजनाओं के लिए	850,000,000	836,000,000	पूर्वोत्तर विकास निधि (एनईआर)	54,689,881	29,262,285
गैर/नियोजित योजनाओं के लिए	-	-	कृषि निर्यात नीति (एईपी)	-	10,000,000
विशिष्ट निधियों के लिए (निर्धारित की गई)	-	-			
विशिष्ट निधि के लिए (पूंजीगत संपत्ति)	-	-	निर्धारित/बंदोबस्ती निधि में से	-	-
			वर्तमान देनदारियों में कमी	51,615,447	61,192,980
से निवेश पर ब्याज					
निर्धारित / बंदोबस्ती निधि	-	-	अचल संपत्तियों की खरीद	24,495,534	9,845,894
हमारी पूंजी	-	-			
			विशिष्ट अनुदान/निधि के लिए भुगतान		
प्राप्त ब्याजः			अप्रयुक्त अनुदान के लिए भुगतान	-	-
एफडी सहित बैंक जमा	24,884,027	6,212,528			
ऋण और अग्रिम आदि	-	-	**अन्य भुगतानः**		
			कर्मचारियों को अग्रिम/श्रण बकाया	452,394	206,349
आयः			बकाया देनदारियों के लिए भुगतान	-	-
चावल के अनुबंधों के पंजीकरण के	111,080,855	109,530,212	अन्य जमा और चालू संपत्ति	-	-
प्रसंस्कृत शुल्क (आरसीएमसी)	58,039,677	52,346,338	व्यय (एमएआई अनुदान)	-	-
पंजीकरण शुल्क (आरसीएमसी)	28,303,495	14,785,564	किए गए सावधि जमा	942,500,000	622,300,000
विविध रसीदें (अन्य शुल्क)					
			वैधानिक दायित्वः		
परियोजना प्राप्तियां:	-	-	सेवा कर	-	-
अवसंरचना विकास	6,211,128	1,835,586	टीडीएसई	15,915,200	11,593,746
बाजार विकास	-	25,043,783	ईपीएफ	12,945,355	12,027,021
अन्य (सचिव, मसाला)			जीएसटी	24,990,689	35,905,914
अन्य प्राप्तियां:			**कर्मचारी कल्याण पर व्यय:–**		
ऋण के बदलें में कर्मचारियोंसे प्राप्तियां	1,132,457	522,218	स्थायी कर्मचारियों का वेतन	66,974,159	61,769,169
देनदारों से प्राप्तियां	-	-	अनुबंध कर्मचारियों का वेतन	3,845,878	3,813,008
बीजी के आह्वान से प्राप्तियां	-	40,000,000	कर्मचारी क्रेडिट और थ्रिफ्ट सोसायटी	4,420,484	4,525,982
पुराने समाचार पत्रों की बिक्री	-	-		-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री	-	-	अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय		
ईएमडी (जमा)	-	-			
अन्य जमा	55,078,031	-	**अंतिम शेष द्वारा:–**		
माई ग्रांट	-	-	रोकड़ शेष	10,830	14,640
			बैंक में शेष राशि	306,834,208	72,199,392
अन्य चालू दायित्वों में वृद्धि	-	-	चालू खातों में		
सावधि जमा परिपक्व	1,115,695,706	208,663,849	जमा बैंक खातों में		
कर्मचारियों/अन्य पार्टियों को भुगतान से कटौती	-	-	बचत बैंक खातों में		
कुल	**2,322,639,408**	**1,744,334,748**	**कुल**	**2,322,639,408**	**1,744,334,748**

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

विगत वित्तीय वर्ष (2020–21) की तुलना में वर्ष 2021–22 के लिए गैर नियोजित व्यय का विवरण

व्यय मद	2020–21 के दौरान व्यय	2021–22 के दौरान व्यय	% बढ़ोतरी/ घटोत्तर	बढ़ोतरी/घटोत्तर के लिए कारण
भत्ते और बोनस	367.38	454.74	23.78	महंगाई भत्ता दर चिकित्सा प्रतिपूर्ति और बोनस में वृद्धि के कारण वृद्धि।
भविष्य निधि में योगदान	93.60	92.94	-0.71	कर्मचारियों के लाभ में कमी के कारण कमी।
कर्मचारी सेवानिवृति और सेवा समाप्ति लाभों पर व्यय	206.96	143.00	-30.91	पिछले वर्ष में प्रावधानों के अनुमान में त्रुटि के कारण कमी।
विद्युत एवं शक्ति	28.02	47.96	71.19	अधिक बिजली की खपत के कारण वृद्धि।
मरम्मत और रख रखाव	49.04	131.81	168.79	सामान्य कार्य प्रद्धति के अनुसार मरम्मत शुल्कों की उच्च लागत के कारण वृद्धि हुई है
किराया, दरें और कर	10.76	41.72	287.63	संशोधित किराया शुल्क के कारण वृद्धि।
डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	12.13	19.17	58.10	डाक सामग्री की संख्या में वृद्धि के कारण वृद्धि
यात्रा और परिवहन	103.83	128.60	23.86	अधिक बाजार संवर्धन गतिविधियों के कारण वृद्धि
समाचार पत्र, पुस्तकें और पत्रिकाएँ	2.19	4.93	125.52	वृद्धि अधिक पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद के कारण हुई है
भागीदारी शुल्क/प्रभारों पर व्यय	11.36	19.63	72.81	अधिक भागीदारी और कार्यशाला कार्यक्रमों के कारण वृद्धि।
कानूनी और वृत्रिक प्रभार	5.66	25.05	342.70	वर्ष के दौरान कानूनी मामलों की अधिक संख्या और राय लेने के कारण वृद्धि हुई है।
TOTAL	**890.94**	**1109.56**	**24.54**	

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए लाभ समाधान विवरण

अनुसूची सं.	मद	चालू वर्ष	विगत वर्ष	अंतर	चालू वर्ष के लाभ पर प्रभाव
8	अनुदान/सब्सिडी	850,000,000	836,000,000	14,000,000	बढ़ोतरी
9	शुल्क / अंशदान	132,273,257	132,420,754	(147,497)	घटाना
10	रॉयल्टी से आय	0	0	-	–
11	प्राप्त ब्याज	82,554,026	66,243,682	16,310,344	बढ़ोतरी
12	अन्य आय	54,271,418	50,085,383	4,186,035	बढ़ोतरी
13	स्थापना व्यय	150,730,152	142,534,327	(8,195,825)	घटाना
14	अन्य प्रशासनिक व्यय	53,899,273	35,137,426	(18,761,846)	घटाना
15	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	853,455,507	836,448,490	(17,007,017)	घटाना
16	वित्तीय शुल्क	72987.59	25782	(47,206)	घटाना
	विगत अवधि आय	631,305	2,072,847	(1,441,542)	घटाना
	विगत अवधि व्यय	676,478	8,945,228	8,268,750	बढ़ोतरी
				-	
5	मूल्यह्रास	12,140,315	10,928,138	(1,212,177)	घटाना
				-	
	लाभों पर शुद्ध प्रभाव			**(4,047,981)**	**घटाना**
	लाभ और हानि खातों के अनुसार शुद्ध लाभ	**48,755,293**	**52,803,274**	**(4,047,980)**	**घटाना**

एस.एस. नय्यर
(महाप्रबंधक)

समीधा गुप्ता
(उप महाप्रबंधक)

अनुसूची 17 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखांकन सम्मेलन

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और लेखांकन की संचय विधि पर।

राजस्व मान्यता

क) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों को प्राप्ति आधार पर लेखाबद्ध किया गया है और उन्हें राजस्व आय माना गया है। वहाँ किए गए व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

ख) जमाओं पर ब्याज वृद्धि आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

ग) प्राप्त हुए पंजीकरण शुल्क को राजस्व आय के रूप में माना गया है।

2. इन्वेंटरी का मूल्यांकन

एपीडा न तो किसी उत्पादन संबंधी गतिविधि में शामिल है और न ही किसी व्यापार गतिविधि में और इसलिए इसे किसी स्टॉक के रिकॉर्ड को रखने की जरूरत नहीं है।

3. निवेश

सावधि जमाओं में निवेशों को समूहीकरण 6 के अंतर्गत बैंक शेष के रूप में दर्शाया गया है।

4. पुनः समूहीकरण

पिछले वर्ष के आँकड़ों को बेहतर प्रस्तुति और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आवश्यक पाया गया है।

5. स्थायी सम्पत्तियां

स्थायी सम्पत्तियों का विवरण अधिग्रहण लागत पर दिया गया है और इसमें आंतरिक भाड़ा, प्रशुल्क, कर और अधिग्रहण से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं। निर्माण संबंधी परियोजनाओं में संचालन से पूर्व व्यय (जिसमें एक विशिष्ट परियोजना के पूर्ण होने से पहले उसके लिए लोन पर ब्याज शामिल है) पूंजीकृत सम्पत्ति के मूल्य का एक भाग है।

वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों से अधिग्रहित की गई स्थायी सम्पत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर पूंजीकृत किया गया है।

विशेष रूप से स्थायी सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्राप्त सरकारी अनुदानों को पूंजीकृत किया गया है और संबंधित राशि को आरक्षित पूंजी खाते में रखा गया है। इस प्रकार की स्थायी सम्पत्तियों पर ह्रास को लागू दरों पर प्रभारित किया जा रहा है और समान राशि को इस प्रकार की आरक्षित पूंजी में से कम कर दिया गया है।

6. मूल्यह्रास

आयकर अधिनियम 1961 में प्रदान की गई दरों के अनुसार मूल्य के आधार पर मूल्य ह्रास प्रदान किया गया है।

7. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

सरकारी अनुदानों/सब्सिडी को प्राप्ति आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्राप्त सरकारी अनुदानों को निश्चित की गई निधि के अंतर्गत दर्शाया गया है संबंधित व्ययों को संबंधित निधि के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गया है।

8. कोष/पूंजीगत निधि

वर्तमान वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय की कोई भी अतिरिक्त कोष/पूंजीगत निधि अंतरित की जाती है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेनों को लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों पर लेखाबद्ध किया गया है। वर्तमान सम्पत्तियों, विदेशी मुद्रा में कर्जो और चालू देनदारियों को तुलन पत्र की तिथि को वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामस्वरूप होने वाले लाभों/हानियों को स्थायी सम्पत्तियों की लागत के साथ समायोजित किया गया है, यदि विदेशी मुद्रा देनदारी स्थायी सम्पत्ति से संबंधित है, और अन्य मामलों में इसे राजस्व माना गया है।

10. सेवानिवृति लाभ

सभी कर्मचारियों के लिए पूर्ण किए गए प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन के आधार पर उपदान का प्रावधान किया गया है। कर्मचारी की मृत्यु/सेवानिवृति पर देय भविष्यनिधि का आकलन इस परिकल्पना के आधार पर किया गया है कि वर्ष के अंत में कर्मचारियों को पूर्ण राशि देय है।

संग्रहित अवकाश के बदले में कर्मचारियों को देय राशि के लिए प्रावधान का आकलन इस परिकल्पना के आधार पर किया गया है कि कर्मचारी यह लाभ वर्ष के अंत में लेने के हकदार हैं।

11. संचय और अधिशेष

इसमें आरक्षित पूंजी शामिल है जिसे पिछले वर्षो में प्लांट और मशीनरी को खरीदने और भवनों का निर्माण करने के लिए सृजित किया गया था।

अनुसूची 18 आकस्मिक देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणिया

1. आकस्मिक देनदारियाँ	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अंगूर निर्यातको द्वारा मुआवजे की मांग करते हुए किए गए दावे-		
इकाई संबंधी दावे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते हैं।	31.24 करोड़ रू.	31.24 करोड़ रू.
निम्नलिखित के संबंध में एपीडा द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी	शून्य	शून्य
एपीडा की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र	शून्य	शून्य
बैंक में छूट दिए गए बिल	शून्य	शून्य
निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांग		
आयकर/टीडीएस	शून्य	शून्य
नगर पालिका कर	शून्य	शून्य
सेवा कर**	8.85 करोड़ रू.	8.85 करोड़ रू.
**विभागीय सेवा कर/जीएसटी लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है आयकर उपायुक्त, आयकर विभाग के मूल्यांकन आदेश संख्या आईटीबीए/एएसटी/एस/ 143(3) /2019-20/1021510998(1) दिनांक 02.12.2019 के द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2017-18 के लिए 20,78,246 रू. की राशि लंबित है।		
गैर निष्पादन आदेशों के लिए पक्षों द्वारा किए गए दावे, जिन पर एपीडा द्वारा विवाद किया गया है।	शून्य	शून्य

2. पूंजीगत देनदारियां

अनुबंधों पर अनुमानित मूल्य जिससे पूंजी खाते में क्रियांवित करना रहता है और
जिससे प्रदान किया गया है अग्रिम का शुद्ध मूल्य) शून्य शून्य

3. लीज की देनदारियां

प्लांटों और मशीनों के लिए वित्तीय लीज के अन्तर्गत किरायों के लिए भावी देनदारियां
शून्य शून्य

4. चालू संपत्तियों, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में चालू संपत्तियां ऋण और अग्रिमों का मूल्य सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्ति पर होगा, जो तुलन पत्र में दर्शायी गई समुचित राशि के समान होगा।

5. कर

क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(29ए)(एफ) के अन्तर्गत एपीडा की आयकर से छूट प्राप्त है और इसलिए, आयकर का प्रावधान नही किया गया है।

ख) विभागीय सेवा कर/जीएसटी लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है।

ग) एपीडा ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नियमित आधार पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रहित और भुगतान किया है। वस्तु एवं सेवा कर विवरण को वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अनुसार फाईल किया गया है।

घ) टीडीएस काटा गया है और केंद्र सरकार को भुगतान किया गया है। और वित्तीय वर्ष के लिए टीडीएस रिटर्न नियमित रूप फाईल किया गया है।

6. **विदेशी मुद्रा लेनदेन**

सी.आई.एफ. आधार पर आयातों का मूल्य	चालू वर्ष	विगत वर्ष
तैयार वस्तुओं की खरीद	**शून्य**	**शून्य**
कच्चा वस्तुएं और घटक (ट्रांसजिट सहित)	**शून्य**	**शून्य**
पूंजीगत वस्तुएं	**शून्य**	**शून्य**
स्टोर स्पेयर और खपत योग्य सामान	**शून्य**	**शून्य**

विदेशी मुद्रा में व्ययः	चालू वर्ष	विगत वर्ष
वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषण और ब्याज	शून्य	शून्य
अन्य व्ययः		
संवर्धन गतिविधियाँ (प्रतिनिधिमंडलों का दौरा सहित विदेश यात्रा	शून्य	रू. 1,37,007
विधिक और व्यावसायिक व्यय	शून्य	शून्य
पुस्तकें और साहित्य	शून्य	शून्य
अवसंरचना विकास पूंजी परियोजनाएं	शून्य	शून्य
आय एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य

7. **निधि/पूंजीगत निधि समायोजन- निवल राशि** **रु.1,44,83,538.00** **रु. 4,53,75,000.00**

वित्तीय वर्ष 202 1-22 के दौरान, निधि/पूंजी निधि को निम्नलिखित राशियों द्वारा समायोजित किया गया है:

- केनरा बैंक द्वारा पिछले वर्ष और चालू वर्ष में जारी सवाधि सावधि जमा प्रमाणपत्रों में अंतर की राशि 1,45,37,411.00 है
- 38,579.00 रू. देय वेतन अनुबंध की राशि है, जो पहले से ही पिछले वर्ष में समायोजित है।
- ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण बैंक प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज राशि में अंतर की राशि 92,452.00 रू. है।

8. **पूर्व अवधि आय** **रु.6,31,305.00** **रु.20,72,847.00**

- श्री विष्णु सारस्वत को 2,37,949 रु. की अग्रिम राशि है जो पिछले वर्ष में पहले ही तय की जा चुकी थी, जिसे अब पूर्व अवधि आय में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- श्री सुमन कुमार को 2,81,000 रुपये की अग्रिम राशि है जो पिछले वर्ष में पहले ही तय की जा चुकी थी, जिसे अब पूर्व अवधि आय में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- श्री ई.एन वीरभद्र को 1,12,356 रु. की अग्रिम राशि है जो पिछले वर्ष में पहले ही तय की जा चुकी थी, जिसे अब पूर्व अवधि आय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

9. **पूर्व अवधि व्यय** **रु.6,76,478.00** **रु. 89,45,228.00**

- श्री वी.के. विद्यार्थी को रु. 1,33,351 रू. अग्रिम दिए गए थे जो पहले से ही पिछले वर्ष में तय किए गए थे, अब पूर्व अवधि व्यय में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।
- सेवा कर विभाग द्वारा किए गए सेवाकर की विशेष लेखा परीक्षा के तहत 01.10.2016 से 30.06.2017 की अवधि के

लिए देय सेवा कर की राशि 5,43,1 27 रू. है।

10. तनहोदा से प्राप्य ब्याज के रूप में **30,93,845/- रू.** की राशि आकस्मिक परिसंपत्ति है। चूंकि परियोजना पूरी नहीं की गई है। इसीलिए तन्होदा द्वारा 4% की दर से ब्याज सहित वापस कर दी गई थी। किन्तु सीएजी ने 10% ब्याज दर की सिफारिश की थी अतः ब्याज दर के बीच अन्तर होने के कारण 30,93,845/- रुपये की राशि 6% की दर से ब्याज राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

11. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश से 4,38,78,031.00 रू और पंजाब स्टेट कोआपरेटिव (मार्कफेड) 1,02,00,000.00 रू. प्राप्त हुए हैं और यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रतिदेय दर्शाया गया है।

12. चालू देनदारियां और प्रावधानः	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का प्रावधानः लेखापरीक्षा शुल्क (आईएएडी)	रु.3,00,000	रु.3,00,000

एपीडा द्वारा अपनाए लेखांकन मापदंडों की सूचीः

ले. मा. -1	लेखा नीतियों की घोषणा
ले. मा. -5	इस अवधि के लिए शुद्ध लाभ, या हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन
ले. मा. -6	मूल्यहास के लिए लेखांकन
ले. मा. -9	राजस्व की पहचान
ले. मा. -10	स्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन
ले. मा. -12	सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन
ले. मा. -15	कर्मचारियों को लाभ
ले. मा. -29	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, भारत सरकार)

पता : तीसरी मन्जिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सीरो सांस्थानिक क्षेत्र

अगस्त क्रान्ति मार्ग, (खेल गांव के सामने) नई दिल्ली–110016

दूरभाष : 91–11–26513204, 26513219, 26514572, 26526196 • फैक्स : 91–11–26526187

ई–मेल : headq@apeda.gov.in • वेबसाइट : www.apeda.gov.in